राष्ट्रीय दलित अधिकार
नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स

कोविद -19 के सन्दर्भ में दलितों और आदिवासियों की दिल्ली सरकार को अपील

23 मार्च 2020

माननीय श्री अरविन्द केजरीवाल
मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, तीसरा, आईपी एस्टेट
नई दिल्ली-110002

विषय: कोविद-19 के सन्दर्भ में दलितों और आदिवासियों की दिल्ली सरकार को अपील

माननीय श्री अरविन्द केजरीवाल,

अभिवादन!

कोविद -19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत के 75 जिलों में तालाबंदी के सन्दर्भ में;

कोरोनवायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा समय पर किये जा रहे प्रयासों को स्वीकार और सराहना करते हुए;

यह जानते हुए कि कि आपदा और कोविद -19 जाति, वर्ग, लिंग, आयु के अंतर को नहीं पहचानता है, मगर अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक आकस्मिक, स्व-नियोजित और प्रवासी श्रमिक हैं, जिनमें से अधिकांश दलित, आदिवासी, पसमांदा और बहुजन समुदायों से हैं; और ट्रांसजेंडर समुदाय, भीड़भाड़ वाले स्थानों व झुग्गी-झोंपड़ियों में स्वच्छता के प्रतिबंधित साधनों के अभाव में रहते हैं;

यह जानते हुए कि इन समुदायों को अच्छी तरह से प्रावधान नहीं किया गया है और आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक करने की इनकी क्षमता सीमित है, जिनकी स्थिति आने वाले दिनों में आजीविका की अनिश्चितता के कारण गंभीर दिख रही हैं;

मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के मानवीय सिद्धांतों को पहचानना और बनाए रखना, और संवैधानिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं, SDG, कोर मानवीय मानकों/ स्फीयर स्टैंडर्ड्स और क्षेत्र के मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध;

हम दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए के समुदायों के लोगों और संबंधित नागरिकों की केंद्र सरकार से अपील करते हैं:

1. सुनिश्चित करें कि सभी निवारक उपाय और कार्य समान, समावेशी, गैर-भेदभावपूर्ण और गरिमापूर्ण हो।

2. हाशिए / अनौपचारिक क्षेत्र / स्व-नियोजित / आकस्मिक श्रमिकों के लिए संस्थान राहत पैकेज (खाद्य स्टॉक आदि), और सामाजिक सुरक्षा उपायों (पेंशन), बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से समावेशी राहत उपाय लागू करें जब तक कि कोविद -19 महामारी का निपटारा नहीं होता।

3. परीक्षण केंद्रों की संख्या और इसकी क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि नमूने ऐसी सभी बस्तियों से लिए गए हैं जो आम तौर पर हाशिए के समुदायों को समायोजित करते हैं ताकि राज्यों द्वारा संक्रमण के पैमाने को जल्दी पता लगाया जा सके और समयानुसार संगरोध और देखभाल / उपचार की व्यवस्था की जा सके।

4. भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एक सुव्यवस्थित अभ्यास के रूप में प्रत्यक्ष नकद सहायता के रूप में तत्काल राहत मुआवजे लागू करें अथवा अनौपचारिक / प्रवासी क्षेत्र के श्रमिकों की गणना की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू करें। उन्हें (नियमित) वेतन कार्य की अनुपस्थिति में बनाए रखने के लिए सक्षम करें, ताकि उन्हें संकटग्रस्त ऋणग्रस्तता और शोषण से बचाया जा सके।

5. अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, उपर्युक्त और अन्य लोगों के लिए वित्तीय सहायता बढाए, और 2008 के असंगठित कामगारों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम और नियमावली के नियोजन के अनुसार मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रावधान सुनिश्चित एवम उन्हें विस्तारित करे। यह सुनिश्चित किया जाये कि इनके पास राज्य के अधिकारों और कानूनी सहायता तक की पहुंच हो जिससे की वह अपनी संचयी जरूरतों को पूरा कर सके!

6. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि मानदंड में अनौपचारिक / प्रवासी क्षेत्र के श्रमिकों के नुकसान को संबंधित कानूनों के अनुसार मान्यता प्राप्त और वर्णित किया गया है।

7. जहां स्कूल और ECCE केंद्र अनिश्चितकाल के लिए रुके हुए हैं वहां स्थानीय अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर मिड-डे-मील, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) / आंगनवाड़ी सेवाओं का प्रावधान जारी रखने का विकल्प स्थापित करे।

8. बच्चों की सुक्षा और पहचान को प्राथमिकता देते हुए स्कूल के बंद होने से उनकी शिक्षा के नुक्सान की भरपाई डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा की जाये!

9. जब तक कोविद-19 का खतरा ताल नहीं जाता, सुनिश्चित करें कि निर्दिष्ट सार्वजनिक उचित मूल्य / वितरण दुकानें अनुसूची के अनुसार प्रावधानों के पर्याप्त स्टॉक के साथ काम कर रही हैं।

10. जहां भी कोविद -19 से सकारात्मक मामलों और घातक घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, वहा संस्थान और स्थानीय समुदाय हेल्थकेयर सिस्टम लाये जाये जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में कोविद -19 को रोकने, परीक्षण करने और उनका इलाज करने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य प्रणाली उपलब्ध कराई जाये।

जहाँ भी मुहल्ला क्लीनिक स्थापित हैं, सही जानकारी और जागरूकता अभियान के साथ शहरी गरीबों तक पहुँचने के लिए उनकी ताकत बढ़ाई जाये!

11. सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थानों में व अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों में सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति और प्रावधान सुनिश्चित की जाये ।

12. हर दलित, आदिवासी, बेघर, अस्थायी आबादी, विभिन्न बेघरों को आश्रय, रैन बसेरों / राहत शिविरों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए पानी की आपूर्ति और स्वच्छता किट, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करें।

13. निजी चिकित्सकों को पैसे वसूल कर सबसे गरीब तबके का शोषण करने और उसे धोखा देने से बचने के लिए कोविद -19 के परीक्षण प्रयोगशाला, नि: शुल्क परीक्षण और उपचार के बारे में स्थानीय भाषा में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाये ।

14. मानवीय राहत के साथ-साथ न्याय प्रणाली को सुनिश्चित किया जाये जिससे की लोग नामित स्थानीय अधिकारियों के पास अपनी शिकायतों का सरल और अनुकूल रूप से पंजीकरण करा सके व नामित तंत्र के तहत निवारण पा सके ।

हम, दलित, आदिवासी और अन्य हाशिए के समुदायों के सदस्य, भारत और एशिया क्षेत्र के संबंधित नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों के साथ मिलकर, कोविद -19 के मद्देनजर, हाशिए के समुदायों की कुछ चिंताओं और स्थिति पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। महामारी से बचने के लिए हम सरकारी राहत और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से सक्रियता की मांग करते हैं। इसके लिए, हम आपके सम्मानित कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिससे जिससे कि सरकारी प्रयासों को और भी मज़बूत किया जा सके ।

धन्यवाद,

हस्ताक्षरकर्ता:

1. दलित अर्थ आदिकार अदनोलन
2. आल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच
3. नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस
4. बेजवाड़ा विल्सन, सफाई कर्मचारी अभियान
5. राइट्स, केरला
6. आंबेडकर लोहिआ विचार मंच – ओडिशा
7. सोशल अवेयरनेस सोसाइटी फॉर युथ
8. नेशनल दलित क्रिस्चियन वॉच (NDCW)
9. प्रयास ग्रामीण विकास मंच - बिहार
10. बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच - उत्तर प्रदेश
11. फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (FSD)
12. नेशनल आदिवासी सॉलिडेरिटी कॉउन्सिल (NASC)
13. ओडिशा डेवलपमेंट एक्शन फोरम
14. आल इंडिया यूनियन ऑफ़ फारेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP)

15. नेशनल युथ इक्विटी फोरम
16. सेंटर फॉर दलित राइट्स, राजस्थान
17. रवि दुग्गल, इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ रेसेअर्चेर एंड एक्टिविस्ट, मुंबई
18. अजय कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, ओडिशा
19. डी. लेस्ली मार्टिन – दलित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हैदराबाद
20. सुब्रत दस, सेंटर फॉर बजट गवर्नन्स एंड एकाउंटेबिलिटी
21. प्रोफ. एन सुकुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी
22. प्रोफ. वाये. यस. अलोन, स्कूल ऑफ़ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जे.एन.यू, नई दिल्ली
23. आर. वेंकट रेड्डी, एम्. वी.फाउंडेशन
24. नज़दीक
25. प्रदीप बैसाख, फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन
26. एशिया दलित राइट्स फोरम, इंडिया

गिनती चालू है...

प्रतिलिपि:

1. माननीय श्रीअनिल बैजल, दिल्ली के उपराज्यपाल और अध्यक्ष-दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2. माननीय श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
3. माननीय श्री सत्येन्द्र जैन, कैबिनेट मंत्री, परिवार कल्याण निदेशालय
4. माननीय श्री गोपाल राय, मंत्री, रोजगार, विकास, श्रम, सामान्य प्रशासन और सिंचाई
5. माननीय श्री इमरान हुसैन, कैबिनेट मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और चुनाव
6. माननीय श्री कैलाश गहलोत, कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री; राजस्व, प्रशासनिक सुधार, सूचना और प्रौद्योगिकी, कानून, न्याय और विधायी मामलों, परिवहन और पर्यावरण
7. माननीय श्री राजीव वर्मा, प्रमुख सचिव (राजस्व) / मंडल आयुक्त, संयोजक / सचिव / सह-समन्वयक, दिल्ली में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल विभाग

NCDHR: 1998 में स्थापित एनसीडीएचआर दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य अधिकारों और मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करना है।

राष्ट्रीय दलित वॉच (NDW): राष्ट्रीय दलित वॉच (एनडीडब्ल्यू) एनसीडीएचआर द्वारा प्रायोजित एक प्रयास है, जिसे 2010 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था, जो आपदाओं के दौरान दलित समुदायों के बहिष्कार के परिदृश्य को संगठित और व्यवस्थित तरीके से जवाब देता हैं। NDW समुदायों, सरकार और मानवीय हितधारकों के साथ सूचित करके, संवाद और संलग्न करके इस तरह के भेदभाव को पहचानने, उजागर करने और समाप्त करने का प्रयास करता है, ताकि आपदा प्रतिक्रिया, वसूली और पुनर्वास की एक न्यायसंगत और समावेशी प्रणाली स्थापित की जा सके।

संपर्क:
NCDHR, 8/1, द्वितीय तल, दक्षिण पटेल नगर,
नई दिल्ली - 110008
फोन: 011 45668341/25842249 फैक्स: 011 25842250 | www.ncdhr.org.in
संपर्क व्यक्ति: leemacqueen@ncdhr.org.in